

(d) the number of those who are still holding their old posts; and

(e) the number of those who are still unemployed?]

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना अबुल कलाम आज़ाद) : (क) १०५

(ख) ५४।

(ग) से (ड). ५४ में से ३७ व्यक्ति संस्थाओं आदि में भेजे थे और १७ बाहर के थे। संस्थाओं आदि द्वारा भेजे गये सब व्यक्ति सिवाय एक के उन्हीं संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। बाहर के व्यक्तियों का भारत सरकार के अधीन नौकरी करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता और इसीलिये सरकार उनकी नौकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती है।

†[THE MINISTER FOR EDUCATION AND NATURAL RESOURCES AND SCIENTIFIC RESEARCH (MAULANA ABUL KALAM AZAD): (a) 105.

(b) Fifty-four.

(c) to (e). Of fifty-four 37 are sponsored and 17 non-sponsored candidates. With the exception of one, all the sponsored candidates are serving their sponsoring authorities concerned. The non-sponsored candidates have no obligation to serve the Government of India and as such we do not keep any record of their employment.]

भारत में विदेशी व्यापारिक सार्थों की संख्या†

२०२. श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कुल कितने विदेशी व्यापारिक सार्थ हैं ; और

(ख) उन विदेशी सार्थों की संख्या कितनी है जिन्होंने ने स्वातंत्र्य प्राप्ति के पश्चात् यहां कारोबार शुरू किया ? यह जानकारी वर्षवार दी जाय।

†[FOREIGN TRADING CONCERNS IN INDIA

202. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for FINANCE be pleased to state:

(a) the total number of foreign trading concerns at present in India; and

(b) the number of the foreign concerns which started business here after Independence, the information to be given year by year?]

राजस्व तथा असेनिक व्यय मंत्री (श्री मणिलाल चतुरभाई शाह) : (क) और (ख). संयुक्त पूंजी वाली उन व्यापारिक कम्पनियों की कुल संख्या जो भारत में बाहर संगठित की गई, किन्तु जिन के कारबार का मुख्य स्थान भारत रहा और जो ३१ मार्च १९५५ को चल रही थीं, १७२ थी। इन में से जिन कम्पनियों ने भारत के स्वतंत्र होने पर यहां अपनी शाखाएँ खोनीं उन की संख्या इस प्रकार है :

अवधि	संख्या
१९४७-४८ (१५ अगस्त १९४७ से)	१
१९४८-४९	१४
१९४९-५०	६
१९५०-५१	६
१९५१-५२	६
१९५२-५३	८
१९५३-५४	६
१९५४-५५	५
जोड़	५२

†[THE MINISTER FOR REVENUE AND CIVIL EXPENDITURE (SHRI M. C. SHAH): (a) and (b). The total number of trading joint stock companies incorporated elsewhere than in India but having a principal place of business in this country, at work as

on 31st March 1955 is 172, of which those that established their branches in India after Independence is given below:—

Period	..Number
1947-48 (from 15th August 1947)	1
1948-49	14
1949-50	6
1950-51	6
1951-52	6
1952-53	8
1953-54	6
1954-55	5
TOTAL	52

केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में किये गये अपराध

२०३. श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में किये गये अपराधों के कोई आंकड़े, वृत्तान्त अथवा अभिलेख एकत्रित किये जाते हैं अथवा रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हा तो (१) १९४७, (२) १९४९ और (३) १९५५ के वर्षों में इन क्षेत्रों में हत्या, डाके तथा उपद्रवों की कितनी घटनाएँ हुई ; और

(ग) इस समय केन्द्र-प्रशासन क्षेत्रों में आरक्षक-बल की संख्या कितनी है ?

†[CRIMES COMMITTED IN CENTRALLY ADMINISTERED AREAS

203. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any data, account or records about crimes committed in Centrally administered areas are collected or maintained;

(b) if so, the number of cases of murder, loot and arson committed in those areas during the years (i) 1947, (ii) 1949 and (iii) 1955; and

(c) the strength of police-force in Centrally administered areas at present?]

मंत्री, गृह-कार्य मंत्रालय (श्री बी० एन० दातार) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । देखिये परिशिष्ट १२ अनुपत्र संख्या ६०]

†[THE MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) Yes.

(b) and (c). A statement has been placed on the Table of the House. [See Appendix XII, Annexure No. 60.]

बीमा कम्पनियां

२०४. श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी विदेशी कम्पनियां बीमे का कारोबार कर रही हैं ;

(ख) क्या इन कम्पनियों को यहां भारतीय बीमा कम्पनियों के मुकाबले में अधिक अधिकार और सुविधायें प्राप्त हैं ;

(ग) कितनी भारतीय बीमा कम्पनियां विदेशों में कारोबार कर रही हैं ; और

(घ) क्या विदेशों में कार्य करने वाली भारतीय कम्पनियों को वैसे ही अधिकार और सुविधायें प्राप्त हैं जैसे कि वहां की स्थानीय कम्पनियों को ?

†[INSURANCE COMPANIES

204. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for FINANCE be pleased to state:

(a) the number of foreign companies doing insurance business in India;

(b) whether these companies have got more privileges and facilities in India than those enjoyed by Indian insurance companies;